राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः एफ4 (128)आकाशि/नि.सं./2006/ 236 दिनांकः– 18/04/2022

आदेश

आशुतोष पब्लिक स्कूल समिति, मण्डा, भीमसिंह, जोबनेर जयपुर द्वारा संचालित **आशुतोष पी.जी महाविद्यालय, मण्डा, भीमसिंह, जोबनेर, जयपुर** जो कि विभाग द्वारा सत्र 2011–12 से स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र धारक है। आयुक्तालय के आदेश दिनंक 28.12.2004, 20.06.2006 एवं 04.01.2010 के तहत स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र धारक निजी महाविद्यालय नवीन विषय/संकाय हेतु सीधे ही संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त कर सकते थे। उक्त संस्था द्वारा सत्र 2012–13 से संस्था में स्नातकोत्तर स्तर पर विषय राजनीति विज्ञान, हिन्दी साहित्य, भूगोल, सत्र 2014–15 से प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र एवं सत्र 2015–16 से रसायनशास्त्र संचालित है। संस्था द्वारा उपरोक्त संकायों की सम्बद्धता संबंधित विश्वविद्यालय से प्राप्त कर संचालित थी।

इस संबंध में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् निजी महाविद्यालय नीति 2021–22 के बिन्दु संख्या 32 के अन्तर्गत **आशुतोष पी.जी महाविद्यालय, मण्डा, भीमसिंह, जोबनेर, जयपुर** को सत्र 2012–13 से स्नातकोत्तर स्तर पर विषय राजनीति विज्ञान, हिन्दी साहित्य, भूगोल, सत्र 2014–15 से प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र एवं सत्र 2015–16 से रसायनशास्त्र को नियमितीकरण की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त विषयों में स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमाक : एफ 4 (121) आकाशि/अनु/2006/8093 दिनांकः– 14/12/2011

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2011–12 से पूर्व मे आवंटित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नांकित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:–

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	121	आशुतोष महाविद्यालय	मु.पो.मण्ढा भीमसिंह वाया–जोबनेर जिला–जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय एवं संकाय के अतिरिक्त – बी.एससी. भूगोल

नोट– संस्था 6 माह में सम्बन्धित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक स्टॉफ का अनुमोदन पत्र प्राप्त कर संलग्न करे।

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्वन प्राप्त करने का दायित्व स्वंय संस्था का होगा।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–2 अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
4. संस्था को समय–2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तो का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निदेशालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. प्रति वर्ष निदेशालय से सांख्यकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर निदेशालय को भेजेगी।

निदेशक
कालेज शिक्षा राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर जयपुर।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय
8. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त–निदेशक (अनुदान)